कार्यालय नगर पालिका परिषद सीहोर जिला–सीहोर (म.प्र.)

नदी नाला आदि सफाई कार्य हेतु Backhoe Loader , Bucket Chain Excavator एवं डंपर आदि वाहन किराये से लेने हेतु नियम शर्ते::–

1. उपलब्ध किराये से लिये जाने वाले वाहनो की जीवित पंजीयन,फिटनेस,बीमा होना आवश्यक है साथ ही चालक का जीवित ड्रायविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
2. वाहनो को कार्य की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
3. वाहनो में किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं टूट–फूट की जवाबदारी वाहन स्वामी/संबंधित फर्म की होगी।
4. सशर्त निविदा मान्य नही की जावेगी। निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
5. निकाय के तकनीकी अधिकारी के निर्देशन में वाहनो को कार्य करना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा निम्न उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगेरू. मड पम्पए सक्शनध्डिलीवरी पाइपए ट्रैक्टर.ट्रॉलीए रस्सीए सुरक्षा उपकरणए आवश्यकता अनुसार प्रकाश व्यवस्था। सभी मशीनें कार्यशील स्थिति में होना आवश्यक है।
7. निकाली गई गाद, मिट्टी एवं कचरे का परिवहन कर नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर निस्तारण करना होगा। सड़क, नाली अथवा निजी भूमि पर मलबा डालना प्रतिबंधित रहेगा।
8. निविदा मे स्वीकृत दर वित्त वर्ष के साथ ही नवीन निविदा स्वीकृत होने तक आगामी वर्ष में भी मान्य रहेगी।
9. भुगतान कार्य पूर्ण होने एवं माप पुस्तिका में प्रविष्टि उपरांत नियमानुसार किया जाएगा।
10. कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर विभाग बिना सूचना अनुबंध समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
11. कार्य से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में अभियंता प्रभारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सीहोर रहेगा।

उप यंत्री	सहायक यंत्री	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् सीहोर	नगर पालिका परिषद् सीहोर	नगर पालिका परिषद् सीहोर

Signature Not Verified

Digitally signed by VAIBHAV LOVANIYA
Date: 2026.05.19 14:07:29 IST
Location: Madhya Pradesh-MP